# राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक हेतु एजेण्डा नोट

**बैठक दिनांक–03.11.2026**

**समय अपरान्ह– 03.00 बजे से**

**स्थान – भू–तल मीटिंग हॉल, स्वास्थ्य भवन, सेक्टर–19**

**नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग)**

**राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन**

**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़**

# राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़
## स्वास्थ्य भवन, तृतीय तल
सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, (छत्तीसगढ) पिन–492101
दूरभाष–0771–2511287, फैक्स–0771–2511288, ई–मेलः office.mdnrhm@gmail.com


पत्र क्रमांक / एनएचएम / 2026 / EC- Meeting/ GENS/1246/2864. नया रायपुर, दिनांक 29 / 10 / 2026

प्रति,

1. आयुक्त सह संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, संचालनालय, छ.ग. नवा रायपुर,
2. प्रबंध संचालक, छ.ग. मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन, छ.ग. नवा रायपुर,
3. संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, छ.ग. रायपुर,
4. संचालक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, छ.ग. रायपुर,
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छ.ग. नवा रायपुर,
6. संचालक, महामारी रोग नियत्रंण कार्यकम, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर,
7. परियोजना संचालक, राज्य एड्स नियंत्रण समिति, छ.ग. रायपुर,
8. क्षेत्रीय संचालक, RLTRI, प्रतिनिधि भारत सरकार, स्वा. एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
9. संचालक, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर,
10. संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर,
11. संचालक, शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर,
12. संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, छ.ग. नवा रायपुर,

**विषयः– राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 03.11.2026 के संबंध में।**

—— 00 ——

विषयांर्गत लेख है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अध्यक्षता में **दिनांक 03.11.2026 को समय अपराह्न 03:00 बजे से स्थान–भूतल, मीटिंग हॉल, स्वास्थ्य भवन, सेक्टर–19** नवा रायपुर अटल नगर में आहूत की गई है।

**अतः उपरोक्त संबंध में आपकी उपस्थिति हेतु पत्र सूचनार्थ प्रेषित है।**

नोट– एजेंडा पृथक से जारी की जावेगी।

Digitally signed by
Ajay Shankar Kannoje
Date: 29-10-2026
13:16:31

उप संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

पत्र क्रमांक / एनएचएम / 2026 / EC- Meeting/GENS/1246/2864 नवा रायपुर दिनांक 29/10/2026

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छ.ग. शासन, स्वा0 एवं परि0 क0, छ.ग. अटल नगर रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं सह मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. अपर संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं / राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. अपर संचालक (वित्त), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. संयुक्त संचालक / उपसंचालक / राज्य कार्यकम अधिकारी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
6. शाखा प्रभारी, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई–NHM को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित शाखा से प्राप्त प्रस्ताव का संकलन किया जाना सुनिश्चित करे।
7. कार्यालयीन प्रति।

——सही——
उप संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

# राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 03.11.2026 हेतु प्रस्तावित एजेण्डा
# विषय–सूची


| एजेण्डा क्र. | विषय | पृष्ठ कमांक |
|---|---|---|
| SHS/EC/2026/01 | विगत बैठक दिनांक 22.07.2026 में लिये गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन के संबंध में। | 01-04 |
| SHS/EC/2026/02 | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत मानव संसाधनों हेतु सवैतनिक चिकित्सकीय अवकाश की स्वीकृति जिला एवं राज्य स्तर पर किये जाने के संबंध में। | 05 |
| SHS/EC/2026/03 | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संशोधित मानव संसाधन नीति–2026 के संबंध में। | 06 |
| SHS/EC/2026/04 | छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2013 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत मानव संसाधन नीति में सम्मिलित किये जाने के संबंध में। | 07 |
| SHS/EC/2026/05 | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय (बस्तर, बिलासपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, रायपुर एवं रायगढ़) को वर्ष 2026–27 हेतु आंबटित आर.ओ.पी. में मानव संसाधन पदों को Re-allocation कर संबंधित मेडिकल कॉलेज जिले को आबंटित किये जाने के संबंध में। | 08-09 |
| SHS/EC/2026/06 | वार्षिक कार्य आधारित मूल्यांकन के आधार पर 03 माह की नोटिस उपरांत सेवा वृद्धि किये गये अधिकारी/कर्मचारियों को आर.ओ.पी. में स्वीकृत अनुरूप वेतन वृद्धि का लाभ प्रदाय किये जाने के संबंध में। | 10 |
| SHS/EC/2026/07 | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत वंचित संविदा कर्मचारियों को माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के घोषणा के परिपालन में 5 प्रतिशत वेतन वृद्धि लाभ प्रदाय किये जाने के संबंध में। | 11 |
| SHS/EC/2026/08 | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत ऐसे कर्मचारियों जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में सदस्य है उक्त कर्मचारियों का भविष्य निधि राशि की कटौती के संबंध में। | 12-13 |
| SHS/EC/2026/09 | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत ऐसे कर्मचारी जिनका मासिक मानदेय राशि 25000/– रूपये से अधिक है तथा जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) सदस्य नही है, उक्त कर्मचारियों का नवीन सदस्य बनाया जाकर भविष्य निधि राशि कटौती किये जाने के संबंध में। | 14-15 |

| एजेण्डा क्र. | विषय | पृष्ठ कमांक |
|---|---|---|
| SHS/EC/2026/10 | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्वीकृत आर.ओ. पी. के FMR Code 194.3.1.8 मद में स्वीकृत बजट के पुनः आबंटन की स्वीकृति के संबंध में। | 16 |
| SHS/EC/2026/11 | स्वास्थ्य केन्द्रों (मॉडल अस्पताल) को सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु जिलों को बजट के पुनः आबंटन (Reallocation of ROP) की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में। | 17 |
| SHS/EC/2026/12 | जिला अस्पताल पंडरी, रायपुर में निर्माणाधीन एफ, जी एवं एच टाइप आवासगृहों के निर्माण कार्य हेतु पुनः आबंटन (Reallocation of ROP) की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में। | 18 |
| | **अन्य विषय अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन से।** | |
| SHS/EC/2026/13 | RoP 2026-27 में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत FMR Code 204.2.7 में स्वीकृत राशि का उपयोग किए जाने हेतु कार्यकारी समिति की बैठक में एजेंडा प्रस्तावित किए जाने के संबंध में। | 19 |
| SHS/EC/2026/14 | राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत पोस्ट आफिस एवं संचालक, स्वास्थ्य सेवायें के बीच एन.टी.ई.पी. के विभिन्न गतिविधियो हेतु एम.ओ.यू. किये जाने विषयक। | 20-21 |
| SHS/EC/2026/15 | राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत LCDC (Leprosy Case Detection Campaign) अभियान के सर्वे दल हेतु इन्सेन्टिव व POL की राशि निर्धारण के संबंध में। | 22-24 |
| SHS/EC/2026/16 | ROP 2026-27 में मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत नवीन गतिविधि के तहत जिलें स्तर पर 108 Birth Waiting Home की स्थापना किये जाने हेतु FMR Code 206.1.1 में स्वीकृत राशि 179.28 लाख को जिलों को आबंटित किये जाने बाबत्। | 25 |
| SHS/EC/2026/17 | ROP 2026-27 में मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत FMR Code 201.2.4 में SBA (SN/ANM/LHV/CHO) प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत राशि रूपये 215.54 लाख को संबंधित जिले (जहॉ SBA प्रशिक्षण केन्द्र है) को आबंटित किये जाने के संबंध में। | 26 |
| SHS/EC/2026/18 | ROP 2026-27 में मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत FMR 201.2.5 में LSAS, CEmONC (Life Saving Aneasthesia Skill, Comprehensive Emergecy Obstetric Care) के तहत गतिविधी (LSAS/CEmONC प्रशिक्षण व मेडिकल कॉलेज बस्तर में CEmONC Centre Establishment) हेतु स्वीकृत राशि रूपये 158.40 लाख संबंधित मेडिकल कॉलेज (रायपुर, सरगुजा एवं जगदलपुर) को आबंटित किये जाने के संबंध में। | 27 |

| एजेण्डा क्र. | विषय | पृष्ठ कमांक |
|---|---|---|
| SHS/EC/2026/19 | ROP 2026-27 में मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत FMR Code 4.1 में MH - JSSK – For Free Drugs and Consumables, के तहत स्वीकृत राशि 2270.00 लाख को जिलों को आबंटित किये जाने विषयक। | 28 |
| SHS/EC/2026/20 | जिला अस्पताल जगदलपुर में पूर्व में आपूर्ति किए गए 01 नग DG Set (30 KVA) के लंबित भुगतान हेतु revalidation में स्वीकृत राशि ₹2,58,577/- का मातृत्व शाखा से शिशु स्वास्थ्य शाखा के RCH 3 S.No 24 के FBNC मद में बजट हस्तांतरण किए जाने बाबत। | 29 |

# राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक

## एजेन्डा क्र. SHS/EC/2026/01

**विषयः— विगत बैठक दिनांक 22.07.2026 में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन के संबंध में।**

राज्य स्वास्थ्य समिति की वर्ष 2026–27 की कार्यकारिणी समिति की बैठक श्री अमित कटारिया, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में दिनांक **22.07.2026** को समय **अपरान्हः 12.00 बजे से स्थान–भूतल, मीटिंग हॉल, स्वास्थ्य भवन, सेक्टर–19** नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित की गई थी, जिसमें लिये गये निर्णय का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार हैः—

| क्रमांक | विवरण | की गई कार्यवाही |
|---|---|---|
| **एजेंडा क्रं. 01** | **विगत बैठक दिनांक 22.07.2026 में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन के संबंध में।** | |
| निर्णय | समिति विगत बैठक के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन से अवगत हुई। | |
| 1.1 | **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्वीकृत कार्य–योजना (ROP) के क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित जिले एवं राज्य स्तरीय एजेंसी निर्धारण तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु स्वीकृत पुनर्वैधीकरण (Revalidation) बजट के आबंटन की स्वीकृति के अनुमोदन के संबंध में।** | |
| निर्णय **''अ''**: | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्वीकृत कार्य–योजना (ROP) के क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित जिले एवं राज्य स्तरीय एजेंसी के निर्धारण हेतु विस्तृत प्रस्तुतीकरण का अवलोकन किया गया एवं निम्नानुसार निर्देश दिये गए–<br>1. समस्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों हेतु स्वीकृत घटकवार बजटों का शत–प्रतिशत् उपयोग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रसारित मार्गदर्शिका अनुरूप सुनिश्चित किया जावे।<br>2. समस्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वीकृत स्वास्थ्य लाभ एवं प्रोत्साहन राशि | पूर्ण |

| | | |
|---|---|---|
| | समस्त पात्र लाभार्थियों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रसारित मार्गदर्शिका अनुरूप समय–सीमा में प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जावे।<br>3. जिलों द्वारा विकासखण्ड स्तर पर समस्त प्रशासकीय स्वीकृति यथा शीघ्र जारी किया जावे।<br>4. समस्त प्रकार के क्रयों में भण्डार एवं क्रय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।<br>5. समस्त प्रकार के प्रशिक्षणों को यथा शीघ्र प्रारंभ कर समय–सीमा के भीतर पूर्ण कर लिया जावे।<br>6. समस्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सम्बंधित उप संचालक / राज्य कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नियमित रूप से समीक्षा बैठक आयोजित कर अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन से सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को अवगत कराया जावे।<br>7. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत स्वीकृत बजट को नियम अनुसार प्रभावी रूप से उपयोग किये जाने हेतु संचालक स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. को आबंटित किया जावे।<br>8. औषधी, उपकरण एवं स्वास्थ्य जाँच हेतु स्वीकृत बजट को नियम अनुसार प्रभावी रूप से उपयोग किये जाने हेतु संचालक स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. को आबंटित किया जावे।<br>9. जिलों द्वारा औषधी, उपकरण एवं स्वास्थ्य जाँच हेतु किसी भी के क्रय के पूर्व सी.जी.एम.एस.सी. से अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जावे।<br>10. मितानिनों हेतु स्वीकृत प्रोत्साहन राशि एवं मितानिन प्रशिक्षकों हेतु स्वीकृत क्षतिपूर्ति राशि तथा बैठक हेतु स्वीकृत राशि को पूर्ववत् राज्य स्तर (NHM-SPMU) से भुगतान किया जावे।<br>11. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत स्वास्थ्य प्रदाताओं के प्रशिक्षण को NIMHANS, Bengaluru के माध्यम से यथावत् निरंतर जारी रखा जावे।<br>12. समस्त स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत स्वीकृत ट्रेनिंग SIHFW के समन्वय के साथ पूर्ण कराया जावे तथा प्रशिक्षणार्थियों का डेटाबेस तैयार किया जावे। | |

| | | |
|---|---|---|
| | 13. आगामी वित्तीय वर्ष में मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर तथा सारंगढ़ जिलों हेतु SNCU प्रस्तावित किया जावे।<br>14. राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम अंतर्गत NGOs के माध्यम से किये जाने वाले मोतियाबिंद ऑपरेशन की निरंतर समीक्षा की जावे।<br>15. निः शुल्क औषधी एवं स्वास्थ्य जाँच हेतु स्वीकृत बजट राशि को नियम अनुसार प्रभावी रूप से उपयोग किये जाने हेतु संचालक स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. को आबंटित किया जावे।<br>16. अधोसंरचना निर्माण से संबंधित बजट राशि को नियम अनुसार प्रभावी रूप से उपयोग किये जाने हेतु सी.जी.एम.एस.सी. को आबंटित किया जावे।<br>17. सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत प्रारंभिक स्क्रिनिंग में पॉजिटिव पाये गए मरीजों का शत–प्रतिशत् कनफरमेटरी टेस्ट पूर्ण कर लिया जावे एवं स्वास्थ्य उपचार सुनिश्चित किया जावे।<br>18. सी.जी.एम.एस.सी. द्वारा आई.पी.एच.एस. मानक 2022 के अनुसार समस्त प्रकार के नवीन स्वास्थ्य भवन निर्माण हेतु पुनरीक्षित एस.ओ. आर. के आधार पर प्राकल्लन तैयार कर शासन को अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जावे।<br>19. निःशुल्क लैब जाँच योजना अंतर्गत स्वीकृत बजट को प्रस्ताव अनुरूप स्वीकृति हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र प्रेषित किया जावे।<br>20. उपरोक्तानुसार निर्देशों को सुनिश्चित करते हुए जिलों एवं प्रस्तावित राज्य स्तरीय एजेंसियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्वीकृत कार्य–योजना (ROP) की प्रशासकीय स्वीकृति यथाशीघ्र जारी किया जावे। | |
| **निर्णय ''ब'':** | वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु स्वीकृत पुनर्वैधीकरण (Revalidation) बजट राशि रूपये 24755.17 लाख को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रसारित मार्गदर्शिका अनुरूप उपयोग/भुगतान किये जाने हेतु जिलों एवं राज्य स्तरीय एजेंसियों को प्रशासकीय स्वीकृति यथाशीघ्र जारी किया जावे। | पूर्ण |

| | | |
|---|---|---|
| 1.2 | **भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक स्वास्थ्य अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता (Financial Assistance to States/UTs वित Public Health Infrastructure) संबंधी दिशा–निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ राज्य से प्रेषित दावा (Claim) एवं परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन के संबंध में।** | |
| निर्णयः | भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक स्वास्थ्य अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता (Financial Assistance to States/UTs for Public Health Infrastructure) संबंधी दिशा–निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छ.ग. सह अध्यक्ष राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन प्राप्त कर छत्तीसगढ़ राज्य से प्रेषित दावा (Claim) राशि ₹450.00 करोड़ (रुपये चार सौ पचास करोड़ मात्र) एवं प्रेषित परियोजना प्रस्ताव राशि ₹450.00 करोड़ (रुपये चार सौ पचास करोड़ मात्र) तथा ₹150.21 करोड़ (रुपये एक सौ पचास करोड़ एक्कीस लाख मात्र) की कार्ययोजना का कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदन दिया गया। | पूर्ण |

# राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक

## एजेन्डा क्र. SHS/EC/2026/02

**विषयः— राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत मानव संसाधनों हेतु सवैतनिक चिकित्सकीय अवकाश की स्वीकृति जिला एवं राज्य स्तर पर किये जाने के संबंध में।**

राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 13.08.2025 में एजेंडा क्रमांक–04 में लिये गये निर्णय अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत प्रचलित मानव संसाधन नीति–2018 की कंडिका 35.08 दुर्घटना अवकाश में प्रावधानित 30 दिवस के अवैतनिक अवकाश को दुर्घटना/गंभीर बीमारी की चिकित्सकीय आवश्यकता हेतु मानवीय आधार पर सवैतनिक चिकित्सकीय अवकाश किये जाने की सहमति प्रदान की गई है।

उक्त निर्णय के परिपालन में राज्य कार्यालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक/एन.एच.एम./एच.आर./ESTB/7626/1959, नवा रायपुर, दिनांक 19.08.2025 द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि सवैतनिक चिकित्सकीय अवकाश की स्वीकृति संबंधी प्रक्रिया राज्य स्तर से की जावेगी। वर्तमान में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित जिला की अनुशंसा अनुसार जिला स्तर से आवेदन प्राप्त होते हैं, जिनकी स्वीकृति मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुमोदन उपरांत प्रदाय की जा रही है।

अवगत हो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कुल 23,121 संविदा पद स्वीकृत हैं, जिसके विरुद्ध वर्तमान में 18,097 मानव संसाधन कार्यरत हैं। जिला स्तर से सवैतनिक चिकित्सकीय अवकाश हेतु निरंतर अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं जिनके निराकरण में अत्यधिक समय व्यतीत होता है। अतः प्रशासनिक सुगमता, कार्यों के त्वरित निराकरण एवं विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से सवैतनिक चिकित्सकीय अवकाश की स्वीकृति हेतु निम्नानुसार प्रावधान किया जाना प्रस्तावित हैः—

1. **ऐसे पद जिनकी भर्ती जिला स्तर से की जाती है (₹35,000/— से कम मानदेय वाले पद)—उक्त पदों हेतु सवैतनिक चिकित्सकीय अवकाश की स्वीकृति, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रदाय किया जावे।**

2. **ऐसे पद जिनकी भर्ती राज्य स्तर से की जाती है (₹35,000/— एवं ₹35,000/— से अधिक मानदेय वाले पद) उक्त पदों हेतु सवैतनिक चिकित्सकीय अवकाश की स्वीकृति मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रदाय की जावे।**

**प्रस्तावः— राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत मानव संसाधनों हेतु सवैतनिक चिकित्सकीय अवकाश की स्वीकृति उपरोक्त बिन्दु कमांक 01 एवं 02 अनुसार किये जाने हेतु कार्यकारिणी समिति से स्वीकृति लिया जाना प्रस्तावित है।**

# राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक

## एजेन्डा क्र. SHS/EC/2026/03

**विषयः–** **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संशोधित मानव संसाधन नीति–2026 के संबंध में।**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य समिति कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 13–08–2025 में दिये गये निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत स्थानांतरण संबंधी नियम एवं मानव संसाधन नीति 2018 में आंशिक संशोधन किये जाने हेतु प्रस्ताव रखा गया था। उक्त बैठक के जारी कार्यवाही विवरण अनुसार समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ अंतर्गत मानव संसाधन नीति–2018 में संशोधन हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन कर, राज्य में अन्य विभागों के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं में नियोजित संविदा मानव संसाधनों हेतु लागू मानव संसाधन नीतियों का अध्ययन कर, मानव संसाधन कल्याण से संबंधित नियम संगत एवं तर्क संगत प्रस्ताव हेतु अनुशंसा आगामी कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देश के परिपालन में कार्यालयीन आदेश क्रमांक/एनएचएम/एचआर/2025/ESTB/7626/1961 नवा रायपुर दिनांक 19/08/2025 के तहत संयुक्त संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में 08 सदस्यीय राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

उक्त समिति द्वारा संशोधित मानव संसाधन नीति 2026 का प्रारूप तैयार की गई है। जिसके संबंध में आयुक्त सह मिशन संचालक के समक्ष उपसंचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हुई चर्चा अनुसार समिति द्वारा प्रस्तुत मानव संसाधन नीति 2026 को पुनः परीक्षण उपरांत चर्चा अनुसार संशोधित ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जो कि समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रस्तुत की जावेगी।

# राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक

## एजेन्डा क्र. SHS/EC/2026/04

**विषयः— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2013 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत मानव संसाधन नीति में सम्मिलित किये जाने के संबंध में।**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ अंतर्गत नियोजित संविदा मानव संसाधनों को चिकित्सा बीमा सुविधा की लाभ प्रदान किये जाने हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति (कार्यकारिणी समिति) की बैठक दिनांक 12.12.2025 में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 लागू किये जाने हेतु समिति द्वारा अनुमोदन दिया गया तथा वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को सैद्धांतिक सहमति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के निर्देश दिए गये। वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन से सैद्धांतिक सहमति लिये जाने के संबंध में शासन स्तर पर कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत 23000 संविदा पद **(प्रबंधकीय, तकनीकी, सेवा प्रदाता व पैरामेडिकल स्टाफ)** स्वीकृत है, जिसके विरूद्ध वर्तमान में लगभग 18000 कार्यरत है। चिकित्सा परिचर्या हेतु प्राप्त होने वाले प्रकरणों को राज्य शासन के नियमानुसार सिविल सर्जन से परीक्षण कराकर CGHS दर के आधार पर वास्तविक लागत राशि का भुगतान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत Staff Welfare Fund मद में स्वीकृत राशि से की जावेगी। वित्तीय वर्ष में बचे शेष प्रकरणों का निराकरण के आगामी वर्ष कार्ययोजना के स्वीकृत बजट मद से की जावेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत मानव संसाधनों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2013 के अंतर्गत् उपचार सुविधा प्रदान करने हेतु आवश्यक बजट राशि Staff Welfare Fund मद में स्वीकृत राशि में से वहन की जावेगी, इसके लिये राज्य शासन को अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आयेगा।

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत समस्त संविदा कर्मियों हेतु उनके कल्याण एवं स्वास्थ्य सहायता लाभ प्रदान किये जाने हेतु स्वीकृत आर.ओ.पी. में Staff Welfare Fund मद अंतर्गत वर्ष 2020–21 से प्रतिवर्ष नीचे दर्शाये तालिका अनुसार बजट की स्वीकृति दी जाती है, जिसका उपयोग आज दिनांक तक किसी भी कल्याणकारी गतिविधियों हेतु नहीं किया गया है, जिसके कारण बजट प्रतिवर्ष लैप्स हो रहा है।

| क्रमांक | वित्तीय वर्ष | एफ.एम.आर. कोड | कुल स्वीकृत राशि (लाख में) |
|---|---|---|---|
| 01 | 2026-27 | HSS.9 – HRH, S.No. 186 (186.2) | 500.00 |
| 02 | 2025-26 | HSS.9 – HRH, S.No. 186 (186.2) | 500.00 |
| 03 | 2024-25 | HSS.9 – HRH, S.No. 186 (186.2) | 500.00 |
| 04 | 2023-24 | HSS.9 – HRH, S.No. 186 (186.2) | 500.00 |
| 05 | 2022-23 | HSS.9 – HRH, S.No. 186 (186.2) | 500.00 |
| 06 | 2021-22 | PM 16.4.6 | 200.00 |
| 07 | 2020-21 | PM 16.1.4.1.3 | 250.00 |

**प्रस्तावः—** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत मानव संसाधनों हेतु छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2013 के बिन्दु क्रमांक 02 के (ख) – संविदा के आधार पर नियोजित कर्मचारी पर भी लागू है के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जाना प्रस्तावित है। कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत।

# राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक

## एजेन्डा क्र. SHS/EC/2026/05

**विषयः— राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय (बस्तर, बिलासपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, रायपुर एवं रायगढ़) को वर्ष 2026—27 हेतु आंबटित आर.ओ.पी. में मानव संसाधन पदों को Re-allocation कर संबंधित मेडिकल कॉलेज जिले को आबंटित किये जाने के संबंध में।**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत आर.ओ.पी. में प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय (बस्तर, बिलासपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, रायपुर एवं रायगढ़) हेतु सेवा प्रदायता (Anaesthetists-06, Paediatrician-09, Medical Officer-20, Staff Nurse-137 and Secretarial Assistant-04) की कुल 176 पदों स्वीकृति दी गई है। जिसकी भर्ती संबंधित चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा किया जाना है, परन्तु आज दिनांक की स्थिति में केवल 27 पद भरे हुये है तथा 149 पद रिक्त है।

| S.No. | District | Post Name | Section | Imposition | Vacant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASTAR-Medical College | Anaesthetists | 1 | 0 | 1 |
| | | Medical Officers | 4 | 0 | 4 |
| | | Staff Nurse - ICU/HDU | 12 | 12 | 0 |
| | | Paediatrician - PICU/HDU | 3 | 0 | 3 |
| | | Staff Nurse (12 Beded HDU/ICU) | 12 | 0 | 12 |
| | | Staff Nurse (Pediatric Ward 30 Beded) | 15 | 0 | 15 |
| 2 | BILASPUR-Medical College | Anaesthetists | 1 | 0 | 1 |
| | | Medical Officers | 4 | 0 | 4 |
| | | Staff Nurse - ICU/HDU | 12 | 12 | 0 |
| | | Secretarial Assistant - SRL for MC | 1 | 0 | 1 |
| | | Paediatrician - PICU/HDU | 3 | 0 | 3 |
| | | Staff Nurse (12 Beded HDU/ICU) | 12 | 0 | 12 |
| | | Staff Nurse (Pediatric Ward 30 Beded) | 15 | 0 | 15 |
| 3 | RAJNANDGAON-Medical College | Secretarial Assistant - SRL for MC | 1 | 0 | 1 |
| | | Paediatrician - PICU/HDU | 3 | 0 | 3 |
| | | Staff Nurse (12 Beded HDU/ICU) | 12 | 0 | 12 |

| S.No. | District | Post Name | Section | Imposition | Vacant |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Staff Nurse (Pediatric Ward 30 Beded) | 15 | 0 | 15 |
| 4 | SURGUJA-Medical College | Anaesthetists | 1 | 0 | 1 |
| | | Medical Officers | 4 | 2 | 2 |
| | | Staff Nurse - ICU/HDU | 12 | 0 | 12 |
| | | Secretarial Assistant - SRL for MC | 1 | 1 | 0 |
| 5 | RAIPUR-Medical College | Anaesthetists | 3 | 0 | 3 |
| | | Medical Officers | 8 | 0 | 8 |
| | | Staff Nurse - ICU/HDU | 20 | 0 | 20 |
| 6 | RAIGARH-Medical College | Secretarial Assistant - SRL for MC | 1 | 0 | 1 |
| **Total** | | | **176** | **27** | **149** |

अतः उपरोक्त पदों में से Anaesthetists, Paediatrician, Medical Officer रिक्त पदों की भर्ती राज्य स्तर से चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा विशेषज्ञ रिक्त पदों की भर्ती प्रत्येक माह 15–15 दिवस में ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित कर की जावेगी तथा Staff Nurse and Secretarial Assistant पदों की भर्ती संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के जिले द्वारा की जावेगी।

अतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत वर्ष 2026–27 हेतु प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय (बस्तर, बिलासपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, रायपुर एवं रायगढ़) हेतु जारी आर.ओ.पी. में उक्त पदों को Re-allocation कर संबंधित मेडिकल कॉलेज जिले के आर.ओ.पी. में आबंटित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत।

**प्रस्तावः–** प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय (बस्तर, बिलासपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, रायपुर एवं रायगढ़) को वर्ष 2026–27 हेतु जारी आर.ओ.पी. में मानव संसाधन पदों को Re-allocation कर संबंधित मेडिकल कॉलेज जिले के आर.ओ.पी. में आबंटित कर राज्य व जिला स्तर से भर्ती किया किया जाना प्रस्तावित है।

# राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक

## एजेन्डा क्र. SHS/EC/2026/06

**विषयः— वार्षिक कार्य आधारित मूल्यांकन के आधार पर 03 माह की नोटिस उपरांत सेवा वृद्धि किये गये अधिकारी/कर्मचारियों को आर.ओ.पी. में स्वीकृत अनुरूप वेतन वृद्धि का लाभ प्रदाय किये जाने के संबंध में।**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ अंतर्गत प्रचलित मानव संसाधन नीति वर्ष—2018 के **कंडिका कमांक 38 कार्याधारित मूल्यांकन**— राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न पदों पर पदस्थ समस्त संविदा अधिकारियों तथा कर्मचारियों का वार्षिक कार्य आधारित मूल्यांकन के आधार पर प्रतिवर्ष सेवा वृद्धि की जाती है।
100 अंको के स्केल पर श्रेणीकरण निम्नानुसार किया जायेगाः—

| कमांक | कुल प्राप्तांक | श्रेणी | अभिमत/ कार्यवाही |
|---|---|---|---|
| 1 | >75 | उत्कृष्ट | कार्यावधि बढ़ाए जाने के संबंध में अनुशंसा एवं आर.ओ.पी. में स्वीकृत अनुसार वेतन वृद्धि का लाभ दिया जावेगा। |
| 2 | >70 | बहुत अच्छा | |
| 3 | >55 | अच्छा | |
| 4 | >40 — 54 | औसत | **1. कार्य सुधार हेतु 03 माह की नोटिस।**<br>**2. वेतनवृद्धि का लाभ नहीं दिया जावेगा।** |
| 5 | ≤40 | औसत से कम | कार्यावधि न बढ़ाए जाने के संबंध में अनुशंसा |

उपरोक्त तालिका के बिन्दु कमांक 4 अनुसार >40 — 54 अंक प्राप्त करने वाले अधिकारी/कर्मचारी को कार्य सुधार हेतु 03 माह की नोटिस एवं वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिये जाने के संबंध में कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 04.10.2019 में निर्णय लिया गया है।

अवगत होवे कि ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनको वार्षिक कार्य मूल्यांकन के आधार पर 03 माह की नोटिस दिया जाता हैं। उक्त नोटिस अवधि 03 माह के कार्य का पुनः मूल्यांकन के आधार पर सेवा वृद्धि की जाती है। 03 माह की नोटिस उपरांत सेवा वृद्धि किये गये अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा वेतन वृद्धि का लाभ प्रदाय करने हेतु पत्राचार किया जाता है।

अतः ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनका 03 माह की नोटिस देने के पश्चात् उनका पुनः मूल्यांकन के आधार पर संविदा सेवा वृद्धि की जाती है तो उन्हें सेवा वृद्धि आदेश दिनांक के आगामी माह से वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदाय किये जाने के संबंध में कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत।

# राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक

## एजेन्डा क्र. SHS/EC/2026/07

**विषयः— राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत वंचित संविदा कर्मचारियों को माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के घोषणा के परिपालन में 5 प्रतिशत वेतन वृद्धि लाभ प्रदाय किये जाने के संबंध में।**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों को माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के घोषणा के परिपालन में 5 प्रतिशत वेतन वृद्धि दिये जाने हेतु निम्नानुसार आदेश पत्र क्रमांक/एनएचएम/2025/GENS-10/137/2559 नवा रायपुर दिनांक 10.10.2025 जारी किया गया हैः—

- छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 10—29/2023/17—दो दिनांक 19.12.2023 के अनुक्रम में, छत्तीसगढ़ भाासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10—29/2023/17—दो दिनांक 07.03.2024 में संदर्भित वित्त विभाग के परामर्श अनुसार तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 13.08.2025 में अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति द्वारा एजेण्डा क्रमांक 05 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों को वेतन में 5 प्रतिशत वृद्धि किये जाने के संबंध में लिये गये निर्णय के अनुसार— राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ के उपलब्ध बजट से मिशन अंतर्गत माह जुलाई 2023 की स्थिति में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को 01 जुलाई 2023 से 05 प्रतिशत अतिरिक्त वेतन वृद्धि का भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।
- ऐसे संविदा कर्मचारी जिन्होंने 01 जुलाई 2023 को 01 वर्ष या उससे अधिक की संविदा सेवा पूर्ण की हो वे ही, 05 प्रतिशत अतिरिक्त वेतन वृद्धि हेतु पात्र होंगे।

उपरोक्तानुसार आदेशानुसार 01 जुलाई 2023 को 01 वर्ष या उससे अधिक की संविदा सेवा पूर्ण की हो वे ही, 05 प्रतिशत अतिरिक्त वेतन वृद्धि हेतु पात्र होंगे उल्लेख कर जारी किया गया है, जिसके कारण उक्त अवधि में कार्यरत एनएचएम संविदा कर्मचारी जिनकी सेवा अवधि 01 वर्ष पूर्ण नही हुये थे उनको 05 प्रतिशत वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिला है।

अतः इस संबंध में छत्तीसगढ़ प्रदेश एन.एच.एम. कर्मचारी संघ द्वारा उक्त अवधि में कार्यरत वंचित समस्त कर्मचारियों को घोषित 27 प्रतिशत (स्वीकृत 5 प्रतिशत) से कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ दिये जाने की मांग की गई है।

अतः उक्त जारी आदेश में संशोधन कर माह जुलाई 2023 की स्थिति में कार्यरत वंचित समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को 01 जुलाई 2023 से 05 प्रतिशत वेतन वृद्धि लाभ दिये जाने हेतु प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत।

# राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक

## एजेन्डा क्र. SHS/EC/2026/08

**विषयः— राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत ऐसे कर्मचारियों जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में सदस्य है उक्त कर्मचारियों का भविष्य निधि राशि की कटौती के संबंध में।**

श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कर्मचारी भविश्य निधि संगठन के संबंध में जारी अधिसूचना संख्या CG-DL-E-17092026-276299 नई दिल्ली 17 सितम्बर 2026 के द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की सदस्यता हेतु प्रतिमाह रु. 15,000/— मानदेय की सीमा को बढ़ाकर प्रतिमाह रु. 25,000/— मासिक मानदेय सीमा अधिसूचित की गई है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो पूर्व से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में सदस्य है तथा ऐसे नवीन पदस्थ कर्मचारी जिनका मासिक मानदेय राशि प्रतिमाह रू. 15,000/— है, उक्त समस्त कर्मचारियों का वर्तमान में प्रतिमाह रु. 15,000/— मानदेय की सीमा अंतर्गत कर्मचारी अंशदान (12%) कटौती कर नियोक्ता अंशदान (12%) मिलाकर प्रतिमाह कर्मचारी भविष्य निधि खाता में जमा किया जा रहा है। अतः वर्तमान में श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) हेतु जारी अधिसूचना अनुसार राश्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के संदर्भ निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित हैः—

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो पूर्व से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में **सदस्य हैं** उनका प्रतिमाह अधिसूचित सीमा मासिक मानदेय रु. 25,000/— अंतर्गत गणना प्रतिमाह रू. 3,000/— कर्मचारी अंशदान (12%) की कटौती कर प्रतिमाह रू. 3,000/— नियोक्ता का अंशदान (12%) मिलाकर कुल राशि 6,000/— रूपये उक्त कर्मचारी के कर्मचारी भविष्य निधि खाता में जमा किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में राज्य व जिला स्तर पर **कुल 12684 कर्मचारियों** का नयी अधिसूचित मासिक सीमा के आधार पर भविष्य निधि कटौती किये जाने पर आगामी 06 माह हेतु लगभग **कुल राशि 600.80 लाख रूपये** की आवश्यकता होगी।

2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत ऐसे कर्मचारी जिनका वर्तमान मानदेय राशि प्रतिमाह ₹25,000/— से कम या समान है परन्तु जो वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में **सदस्य नहीं हैं** उक्त समस्त कर्मचारियों को सदस्य बनाया जाकर नियमानुसार कर्मचारी भविष्य निधि राशि की गणना कर कटौती किया जाकर संबंधित कर्मचारी के भविष्य निधि खाता में जमा किया जाना है। वर्तमान में राज्य व जिला स्तर पर नयी अधिसूचित मासिक सीमा के आधार पर **योग्य कुल 4279 कर्मचारियों** को **सदस्य** बनाये जाकर भविष्य निधि कटौती किये जाने पर आगामी 06 माह हेतु **लगभग कुल राशि 629.13 लाख रूपये** की आवश्यकता होगी।

अवगत होवे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत आर.ओ.पी. वर्श 2026–27 में मानव संसाधन मद में कर्मचारी भविश्य निधि हेतु **कुल राशि 1529.68 लाख रूपये** स्वीकृत है। अतः उपरोक्तानुसार राज्य व जिला स्तर पर **कुल 16963 कर्मचारियों** का नये मासिक मानदेय सीमा आधार पर गणना करने पर आगामी 06 माह हेतु **कुल राशि 1229.93 लाख रूपये अधिभार** होगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत आर.ओ.पी. वर्श 2026–27 में मानव संसाधन अंतर्गत कुल 22683 पद स्वीकृत है जिसके विरूद्ध वर्तमान में कुल 18272 कार्यरत है तथा कुल 4411 पद रिक्त है। वर्तमान में रिक्त पदों की भर्ती प्रकिया पूर्ण किये जाने में 2 से 3 माह लगने की संभावना है तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति में भी 06 माह शेष है।

अतः कर्मचारी भविष्य निधि हेतु अधिभार **कुल राशि 1229.93 लाख रूपये** की व्यवस्था मानव संसाधन मद में रिक्त पदों के विरूद्ध उपलब्ध शेष अव्ययित राशि (Unspent Balance) में से उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत।

# राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक

## एजेन्डा क्र. SHS/EC/2026/09

**विषयः— राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत ऐसे कर्मचारी जिनका मासिक मानदेय राशि 25000/— रूपये से अधिक है तथा जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) सदस्य नही है, उक्त कर्मचारियों का नवीन सदस्य बनाया जाकर भविष्य निधि राशि कटौती किये जाने के संबंध में।**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत आर.ओ.पी. में कुल 22693 संविदा पद (प्रबंधकीय एवं सेवा प्रदायता) के स्वीकृत है जिसके विरूद्ध कुल 18272 कार्यरत है तथा कुल 4411 पद रिक्त है। वर्तमान में **कुल 16963(12684+4279)** कर्मचारी जो पूर्व से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में सदस्य है उनका भविष्य निधि की श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संबंध में जारी अधिसूचना संख्या CG-DL-E-17092026-276299 नई दिल्ली 17 सितम्बर 2026 के द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की सदस्यता हेतु प्रतिमाह रु. 15,000/— मानदेय की सीमा को बढ़ाकर प्रतिमाह रु. 25,000/— मासिक मानदेय सीमा अधिसूचित दर से कटौती की जा रही है।

अवगत होवे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत ऐसे कर्मचारी जिनका मासिक मानदेय राशि 25000/— रूपये से अधिक है तथा जो वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में सदस्य नहीं तथा ऐसे **कुल 1156 कर्मचारी** वर्तमान में राज्य व जिला स्तर पर कार्यरत है, जिनका भविष्य निधि की कटौती नहीं की जा रही है। उपरोक्त संबंध में मार्गदर्शन हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) कार्यालय को कार्यालयीन पत्र क्रमांक—1488 दिनांक—11.08.2026 पत्राचार किया गया था। तद्संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, ब्लॉक—डी, स्कीम 32—, इन्दिरा गांधी व्यावसायिक परिसर, पंडरी, रायपुर (छ.ग.) का पत्र No-EPF/RO/RPR/ENF/CC&I/CG/File No-148/837 Date 09-09-2026 के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है। जिसमें उल्लेख है किः—

1. ₹15,000/— प्रतिमाह ( श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की सदस्यता हेतु प्रतिमाह रु. 15,000/— मानदेय की सीमा को बढ़ाकर प्रतिमाह रु. 25,000/— मासिक मानदेय सीमा अधिसूचित किया गया है) से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी के नामांकन के सबंध मेः—यह सूचित किया जाता है कि ₹15,000/— प्रतिमाह से अधिक मूल वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी को कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य बनाया जा सकता है, जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026 के लागू सक्षमकारी प्रावधानों के अधीन है।

इस संबंध में, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026 के पैरा 18 (3) में प्रावधानित है कि किसी सदस्य के संबंध में देय अंशदान केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित वेतन सीमा के अधीन होगा। उक्त प्रावधान में यह भी निर्धारित किया गया है कि जहां किसी सदस्य का मासिक वेतन अधिसूचित वेतन सीमा से अधिक है, वहां नियोक्ता एवं कर्मचारी द्वारा देय अंशदान वेतन सीमा के आधार पर देय अंशदान तक सीमित होगा, जो योजना के पैरा 9(4) के प्रावधानों के अधीन होगा।

अतः ₹15,000/– प्रतिमाह से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी को भविष्य निधि का सदस्य बनाया जा सकता है तथा सामान्यतः अंशदान ₹15,000/– प्रतिमाह की अधिसूचित वेतन सीमा तक सीमित रहेगा। तथापि, योजना में निर्धारित शर्तों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन, जिसमें जहां लागू हो वहां कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026 के पैरा 9(4) के प्रावधान भी सम्मिलित हैं, उच्च वेतन पर अंशदान किया जा सकता है।

**2**. ऐसे कर्मचारी जो पहले से ही भविष्य निधि के सदस्य बन चुके हैः—यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जो कर्मचारी पहले से ही भविष्य निधि का सदस्य बन चुका है, वह केवल इस आधार पर कि उसका वेतन निर्धारित ₹15,000/– प्रतिमाह की वेतन सीमा से अधिक है. अपनी ईपीएफ सदस्यता समाप्त अथवा त्याग नहीं सकता।

अतः श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्तमान में अधिसूचित मासिक मानदेय सीमा दर ₹25,000/– से अधिक वेतन पाने लाने राज्य व जिला स्तर में कार्यरत समस्त कर्मचारियों (वर्तमान में राज्य व जिला मिलाकर **कुल 1156 कर्मचारी** है) को भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में सदस्य बनाया जाकर कर्मचारी भविष्य निधि राशि की नियमानुसार कटौती किये जाने पर आगामी 6 माह हेतु लगभग **राशि 210.16 लाख रूपये** व्यय भार आयेगा। उपरोक्तानुसार प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत।

# राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक

## एजेन्डा क्र. SHS/EC/2026/10

**विषयः–** **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्वीकृत आर.ओ.पी. के** FMR Code 194.3.1.8 **मद में स्वीकृत बजट के पुनः आबंटन की स्वीकृति के संबंध में।**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य के समस्त जिलों में स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा, सेवाओं की गुणवत्ता के आकलन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य समीक्षा मिशन (State Review Mission–SRM) का आयोजन किया जा रहा है।

ROP वर्ष 2026–27 के अंतर्गत SRM हेतु कुल ₹73.00 लाख (ROP मद संख्या 194.3.1.8) स्वीकृत हैं, जो कि SPMU स्तर पर आवंटित हैं। उक्त स्वीकृत राशि में SRM टीम की मोबिलिटी (यातायात एवं भ्रमण व्यवस्था) हेतु प्रावधान सम्मिलित है। अतः File No-: GENS/3233/2025/SECTION (NHM) में अनुमोदित प्रावधानों के अनुसार, राज्य स्तरीय टीम के साथ जिला स्तरीय टीम की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने तथा जिलों में समीक्षा गतिविधियों के प्रभावी संचालन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रत्येक जिले को ₹1.00 लाख (रुपये एक लाख मात्र) की दर से कुल 33 जिलों हेतु ₹33.00 लाख (रुपये तैंतीस लाख मात्र) की मोबिलिटी राशि आबंटित किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्तानुसार SRM मद में SPMU स्तर पर आवंटित बजट में से ₹33.00 लाख की राशि जिलों को आवंटित किए जाने हेतु बजट के पुनः आबंटन की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव सादर प्रस्तुत है।

# राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक

## एजेन्डा क्र. SHS/EC/2026/11

**विषयः–** **स्वास्थ्य केन्द्रों (मॉडल अस्पताल) को सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु जिलों को बजट के पुनः आबंटन (Reallocation of ROP) की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में ।**

वित्तीय वर्ष 2025–26 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुपूरक बजट अंतर्गत 03 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी एवं कुनकुरी) को मॉडल अस्पताल अंतर्गत सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु बजट कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन उपरांत पूर्व में संचालनालय स्वास्थ्य सेवाए एजेंसी की ROP में रखा गया था। तद्पश्चात संचालनालय स्वास्थ्य सेवाए द्वारा डी.एच.एस. एजेंसी से राशि विलोपित कर जिलों को राशि 893.00 लाख का आबंटन करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ हैं। उक्त राशि का आबंटन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में मिशन संचालक द्वारा जिलों को हस्तांतरित किया गया हैं। उक्त राशि को डीएचएस से जिलों को पुनः आबंटन की कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन कार्यकारिणी समिति से लिया जाना प्रस्तावित हैं ।

**प्रस्ताव–** **वित्तीय वर्ष 2025–26 के अनुपूरक बजट अंतर्गत 03 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी एवं कुनकुरी) को मॉडल अस्पताल सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु राशि डी.एच.एस. से जिलों को आबंटित किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु कार्यकरिणी समिति से कार्योत्तर स्वीकृति लिया जाना प्रस्तावित हैं।**

# राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक

## एजेन्डा क्र. SHS/EC/2026/12

**विषयः–** **जिला अस्पताल पंडरी, रायपुर में निर्माणाधीन एफ, जी एवं एच टाइप आवासगृहों के निर्माण कार्य हेतु पुनः आबंटन (Reallocation of ROP) की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।**

विषयांतर्गत लेख है कि जिला रायपुर के जिला अस्पताल पंडरी में वित्तीय वर्ष 2012–13 के अंतर्गत स्वीकृत स्टाफ क्वार्टर (02 जी, 02 एफ एवं 02 एच) के निर्माण कार्यों के संबंध में, जिला स्तर से चयनित निर्माण एजेंसी (लोक निर्माण विभाग) द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से राशि रुपये 10.00 लाख की मांग की गई थी। उक्त विषय के परीक्षण एवं अनुमोदन उपरांत, जिला रायपुर को उक्त स्टाफ क्वार्टर निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 08.64 लाख प्रदाय की गई।

अवगत होना चाहेंगे कि अतिरिक्त राशि की व्यवस्था राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के Public Health Institution, FMR Code 164 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वीकृत स्टाफ कॉर्टर निर्माण कार्य के Unspent बजट से की जानी है। उक्त स्वीकृत कार्य हेतु छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन को कुल लागत रुपये 522.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिनमें से जो कार्य अद्यतन (अप्रांरभ स्थिति में) हैं, उन कार्यों में से राशि रुपये 08.64 लाख के पुनः आबंटन (Reallocation) हेतु कार्यकारी समिति (Executive Committee) से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त संबंध में जिला अस्पताल पंडरी, रायपुर में निर्माणाधीन एफ, जी एवं एच टाइप आवासगृहों के निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 08.64 लाख (Liability) के पुनः आबंटन (Reallocation of ROP) की कार्योत्तर स्वीकृति अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

**विषयः— अन्य विषय अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन से।**

# राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक

एजेन्डा क्र. SHS/EC/2026/13

**विषयः- RoP 2026-27 में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत FMR Code 204.2.7 में स्वीकृत राशि का उपयोग किए जाने हेतु कार्यकारी समिति की बैठक में एजेंडा प्रस्तावित किए जाने के संबंध में।**

**प्रस्तावः-** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के RoP 2026-27 में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत FMR Code 204.2.7 में कुल राशि रु. 167.60 लाख स्वीकृत है। भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत RoP के Remarks Section में उक्त राशि का उपयोग फाइलेरिया फैमिली रजिस्टर, डोज पोल एवं स्टीकर के मुद्रण हेतु किए जाने का उल्लेख किया गया है।

फाइलेरिया फैमिली रजिस्टर, स्टीकर एवं डोज पोल का मुद्रण छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से कराए जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। प्राप्त अनुमान अनुसार उक्त मुद्रण कार्य पर लगभग रु. 43.98 लाख व्यय होने की संभावना है। विवरण निम्नानुसार है:

| Activities | मात्रा | कुल लागत (In lakh) |
|---|---|---|
| MDA Register | 39,500 | 12.85 |
| Sticker | 36,52,200 | 12.78 |
| Dose Pole | 36,250 | 11.64 |
| Total | | 37.27 |
| GST @18% | | 6.71 |
| Grand Total | | 43.98 |

उक्त मुद्रण कार्य पूर्ण होने के पश्चात FMR Code 204.2.7 में अनुमानतः रु. 123.62 लाख राशि शेष रहेगी। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सामूहिक दवा सेवन (Mass Drug Administration - MDA) कार्यक्रम के दौरान लक्षित लाभार्थियों द्वारा दवा का सेवन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। यद्यपि जागरूकता एवं सही जानकारी के अभाव में अनेक लाभार्थियों द्वारा दवा सेवन से इंकार किया जाता है। अतः MDA फरवरी 2027 के पूर्व व्यापक स्तर पर सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) तथा व्यवहार परिवर्तन संचार (BCC) गतिविधियों का संचालन किया जाना आवश्यक है।

प्रस्तावित IEC/BCC गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है:

| **गतिविधि** | **प्रस्तावित व्यय (रु. लाख में)** |
|---|---|
| समाचार चैनलों में प्रचार-प्रसार (03 चैनल) | 15.00 |
| डिजिटल वॉल पेंटिंग (4500 स्थान) | 22.00 |
| स्थानीय ट्रेनों में IEC गतिविधि (05 ट्रेन) | 20.00 |
| स्थानीय एवं सिटी बसों में IEC गतिविधि | 18.00 |
| LED स्क्रीन के माध्यम से प्रचार-प्रसार (29 स्थान) | 35.00 |
| कुल प्रस्तावित व्यय | 110.00 |

अतः राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत FMR Code 204.2.7 में MDA फरवरी 2027 हेतु रजिस्टर, स्टीकर एवं डोज पोल के मुद्रण कार्य पर अनुमानित रु. 43.98 लाख व्यय होने के उपरांत उपलब्ध शेष राशि में से रु. 110.00 लाख का उपयोग राज्य स्तर पर IEC/BCC गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु प्रस्ताव प्रेषित है ।

# राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक
## एजेन्डा क्र. SHS/EC/2026/14

**विषय:- राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत पोस्ट आफिस एवं संचालक, स्वास्थ्य सेवायें के बीच एन.टी.ई.पी. के विभिन्न गतिविधियो हेतु एम.ओ.यू. किये जाने विषयक।**

उपरोक्त विषयांतगत लेख है कि एन.टी.ई.पी. कार्यक्रम अंतर्गत प्रदाय किये जाने वाली सेवाये जैस " Transport and delivery of anti-TB drugs, diagnostic reagents,and non-cold chain laboratory consumables from the central warehouse to all district-level health destinations across the state of chhattisgarhके संबंध मे इंण्यिन पोस्ट आफिस एवं आयुक्त सह संचालक, स्वास्थ्य सेवायें के बीच एम.ओ.यू. हस्ताक्षर किया जाना है ताकि सेवायें " Transport and delivery of anti-TB drugs, diagnostic reagents,and non-cold chain laboratory consumables from the central warehouse to all district-level health destinations across the state of chhattisgarh" को इंण्यिन पोस्ट आफिस के माध्यम से किया जा सके, इस संबंध मे दिनांक 31.08.2026 को नवीन स्वास्थ्य भवन के बैठक कक्ष मे अपर संचालक, स्वास्थ्य सेवायें की अध्यक्षकता मे बैठक आयोजित की गई जिसमें इंण्यिन पोस्ट आफिस से प्रवर अधिक्षक, डाकधर रायपुर संभाव एवं सदस्य उपस्थित थे। उक्त बैठक मे " Transport and delivery of anti-TB drugs, diagnostic reagents,and non-cold chain laboratory consumables from the central warehouse to all district-level health destinations across the state of chhattisgarh" के संबंध मे चर्चा की गई एवं बिन्दुवार निर्णय लिये गये है। पोस्ट आफिस के माध्यम से स्पुटम कलेक्शन हेतु पाईलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के तीन जिला बलरामपुरए बिलासपुर एवं बीजापूर को चयनित किया गया हैए वर्तमान मे वित्तीय वर्ष 2026.27 मे स्पुटम रनर की राशि रू 274.45 लाख की राशि आर.ओ.पी. कोड क्रमांक 73.6 " NTEP - TB (DSTB) - Diagnostics (Consumables, PPP, Sample Transport)" मे उपलब्ध है जिसमे से राशि रू 15.00 लाख की राशि को एस.पी.एम.यू. एजेंसी से पूर्न आवंटन कर एजेंसी डी.एच.एस. मे लाया जाना उचित होगा ताकि इनका भुगतान समय पर हो सके।

इसके साथ ही "Transport and delivery of anti-TB drugs, diagnostic reagents,and non-cold chain laboratory consumables from the central warehouse to all district-level health destinations across the state of chhattisgarh" के कार्य हेतु वर्तमान मे वित्तीय वर्ष 2026.27 मे आर.ओ.कोड मे राशि रू 50.00 लाख की राशि आर.ओ.पी. कोड क्रमांक 73.5 "NTEP - TB (DSTB) - Budget for Procurement done by States (Drug & supplies)" मे डी.एच.एस. एजेंसी मे उपलब्ध है जिससे संबंधित देयक का भुगतान किया जा सकेगा। बैठक पश्चात् Meeting Minutes Draft MOU तैयार किया गया है एवं वित्त नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवायें से प्राप्त निर्देशानुसार दिनांक 16/10/2026 को बैठक आयोजित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त बैठक मे निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:-

1. प्रवर अधीक्षक डाकघर, रायपुर संभाग रायपुर छ.ग.
2. श्री कन्हैया सिंह मरावी, वित्त नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवायें छ.ग.
3. श्री इंद्रजीत बर्मन, अपर संचालक, स्वास्थ्य सेवायें छ.ग.
4. श्री भावेश दुबे, अपर संचालक वित्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग.
5. डॉ. प्रदीप टण्डन, राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग.
6. श्री शैल्विन मिका, राज्य वित्त प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग.
7. डॉ. रेणुका प्रसन्नो, एसटीडीसी प्रभारी, एसटीडीसी रायपुर छ.ग.
8. डॉ. सचिन चंद्राकर, माईक्रोबायोलॉजिस्ट, आईआरएल/एसटीडीसी छ.ग.
9. डॉ. रोहित बधेल, टीम लीडर, पी.एम.यू. डी.एच.एस.
10. श्री आशीष सिंग, वित्त,पी.एम.यू. डी.एच.एस.

उक्त प्रस्ताव कार्यकारणी समिति के समक्ष सादर प्रस्तुत है।

# राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक

एजेन्डा क्र. SHS/EC/2026/15

**विषय : राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत LCDC (Leprosy Case Detection Campaign) अभियान के सर्वे दल हेतु इन्सेन्टिव व POL की राशि निर्धारण के संबंध में |**

वित्तीय वर्ष 2026-27 में NLEP प्रोग्राम के ROP अंतर्गत , दो चरणों के LCDC (Leprosy Case Detection Campaign) हेतु, सेंट्रल लेप्रोसी डिवीज़न,GOI नॉर्म्स के अनुरूप सर्वे सदस्य के Incentive संबंधी S-No 69 Case Detection & Management में कुल 1305.42 लाख राशि एवं सर्वे सदस्यों के कार्य के सुपरविजन हेतु, सुपरवाइजर के POL संबंधी 174.05 लाख राशि का बजट स्वीकृत है |

सेंट्रल लेप्रोसी डिवीज़न,GOI नॉर्म्स अनुसार /पूर्व वर्षो में आयोजित LCDC में सर्वे सदस्य के Incentive हेतु 75 Rs प्रति सर्वे सदस्य अथवा 150 Rs प्रति सर्वे दल (1 दल में दो सदस्य ) प्रतिदिन( अधिकतम 14 दिनों हेतु ) एवं सुपरवाइजर के POL हेतु 100 रुपए प्रतिदिन ( अधिकतम 14 दिनों हेतु ) के अनुसार राशि प्रदान की जाती थी | जिसमे 1सर्वे दल (प्रति दल में दो सदस्य) का गठन प्रति 1000 की आबादी में किया जाता था ,तथा प्रति 5 दल अथवा 10 सदस्यों पर एक सुपरवाइजर नियुक्त किया जाता था | सर्वे का कार्य मुख्यत: मितानिन के द्वारा ( क्षेत्र में मितानिन न होने पर निकट के पारा की मितानिन /स्वयंसेवी व्यक्तियों के मदद से ) एवं सुपरविजन का कार्य आर.एच.ओ /मितानिन ट्रेनर /एन.एम,ए / सुपरवाइजर के द्वारा किया जाता था | सर्वे कार्य का रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट हस्त लिखित प्रपत्रों के माध्यम से संधारित किया जाता था |

वित्तीय वर्ष 2026-27 में LCDC( Leprosy Case Detection Campaign) के प्रथम चरण में सर्वे सदस्य निमानुसार गठित किया गया है -

- प्रथम सदस्य - RHO M (RHO-M नहीं होने की स्थिती में RHO-F)/मितानिन प्रशिक्षक/CHO।
- द्वितीय सदस्य - मितानिन (निर्धारित जनसँख्या के अनुसार/सम्बंधित ग्राम/पारा की मितानिन) । सम्बंधित ग्राम/पारा में मितानिन उपलब्ध नहीं होने की स्थिती में अन्य ग्राम /पारा की मितानिन द्वारा कार्य सम्पादित किया जाएगा |

उपरोक्त अभियान में सर्वे संबंधी समस्त कार्य जैसे दल गठन,दल का भ्रमण प्लान, सर्वेक्षित जनसँख्या की जानकारी , कुष्ठ शंकास्पद व्यक्तियों की जानकारी ,रेफ़रल आदि विभागीय एप/पोर्टल के माध्यम से किया जाना है |

उपरोक्त अभियान में सर्वे सदस्य के रूप में मितानिन के साथ RHO-M/RHO-F मितानिन प्रशिक्षक/CHO शामिल है ( जो स्क्रीनिंग कार्य के साथ एप/पोर्टल में एंट्री कार्य में भी सहयोग प्रदान करेंगे) एवं प्रथम सदस्य सीमित होने के कारण अभियान के अवधी भी बढ़ जाएगी (मानदेय हेतु पूर्व की भांति अधिकतम 14 दिवस निर्धारण नहीं किया जा सकता) ,ऐसी स्थिती में सर्वे सदस्यों

हेतु उपरोक्त अभियान संबंधी निर्धारित दिशानिर्देश के अनुरूप सर्वे सदस्यों का मानदेय निर्धारित किया जाना है |

## वर्तमान LCDC दिशानिर्देश अनुसार राज्य स्तरीय प्रस्तावित नॉर्म्स:

दो सदस्यीय सर्वे दल निर्धारित माइक्रोप्लान अनुसार संबंधित क्षेत्र में लक्षित जनसँख्या को ध्यान में रखकर, घर-घर जाकर कुष्ठ शंकास्पद की पहचान के उद्देश्य से सदस्यों की जांच /स्क्रीनिंग करेंगे| उपरोक्त कार्य हेतु द्वितीय सदस्य - मितानिन को 2.10 रूपए प्रति व्यक्ति स्क्रीनिंग कार्य हेतु इंसेंटिव दिया जाना प्रस्तावित है | एवं प्रथम सदस्य - RHO-M अथवा RHO-F अथवा मितानिन प्रशिक्षक अथवा CHO (चारों में से कोई भी एक जो दल में शामिल रहेंगे को प्रतिदिन 50 रूपए का POL,कुल कार्य दिवस अनुसार (अधिकतम 30 दिनों हेतु) दिया जाना प्रस्तावित है(POL हेतु अधिकतम राशि 1500 रुपए -प्रति SHC अथवा उल्लेखित प्रथम सदस्य) |

अभियान संबंधी पोर्टल में अद्यतित जानकारी अनुसार 26 जिलों में स्क्रीनिंग हेतु ,लक्षित जनसँख्या 2,37,19,601 (2.4Cr) है , राज्य स्तर से प्रस्तावित नॉर्म्स अनुसार उपरोक्त आबादी के जांच /स्क्रीनिंग हेतु द्वितीय सदस्य मितानिन को इंसेंटिव प्रदान करने हेतु (Rs. 2.1 x 2.4 Cr Population = Rs. 504.00 लाख अधिकतम) अनुमानित Rs.504.00 लाख की आवश्यकता होगी | इसी प्रकार प्रथम सदस्य - RHO-M अथवा RHO-F अथवा मितानिन प्रशिक्षक अथवा CHO (चारों में से कोई भी एक जो दल में शामिल रहेंगे ) हेतु कुल अनुमानित बजट 26 जिलों के अनुमानित 4762 SHC/UAAM/SSK को ध्यान में रखते हुए (Rs.50 x 4762 x 30 days =71.43 लाख) 71.43 लाख अनुमानित बजट की आवश्यकता होगी |

चूँकि उपरोक्त अभियान में सर्वे सदस्य के रूप में ही RHO मितानिन प्रशिक्षक/CHO शामिल है एवं अभियान संबंधी कार्य हेतु POL दिया जाना प्रस्तावित है अत: पृथक से पूर्व की भांति प्रति 5 दल पर सुपरवाइजर नियुक्त कर सुपरवाइजर के POL की राशि देने का प्रावधान नहीं होगा |

## सेंट्रल लेप्रोसी डिवीज़न,GOI नॉर्म्स :

सेंट्रल लेप्रोसी डिवीज़न,GOI नॉर्म्स के अनुसार सर्वे सदस्य के Incentive हेतु 75 Rs प्रति सर्वे सदस्य अथवा 150 Rs प्रति सर्वे दल ( 1 दल में दो सदस्य ) प्रतिदिन ( अधिकतम 14 दिनों हेतु ) एवं सुपरवाइजर के POL हेतु (प्रति 05 दल पर एक सुपरवाइजर के मान से ) 100 रुपए प्रतिदिन ( अधिकतम 14 दिनों हेतु ) के अनुसार राशि प्रदान की जाती थी उपरोक्त नॉर्म्स से लक्षित जनसँख्या 2,37,19,601 (2.4Cr) के जांच /स्क्रीनिंग हेतु कुल अनुमानित 24000 दल का गठन किया जाता जिसका कुल संभावित इंसेंटिव (24000 x Rs150 x 14 दिन = 504.00 लाख )कुल 504.00 लाख एवं कुल 4800 सुपरवाइजर की आवश्यकता होगी जिसका कुल संभावित POL राशि (4800 x Rs100 x 14 दिन = 67.2 लाख होगा|

सर्वे दल के इंसेंटिव एवं POL की राशि निर्धारण हेतु 7 सदस्यों की समिति गठित की गई थी | दिनांक 30/10/2026 को उप संचालक , राष्ट्रीय कुष्ठ उन्नमूलन कार्यक्रम की अध्यक्षता में सर्वे दल के इंसेंटिव एवं POL की राशि निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक आयोजित की गई थी | जिसमे निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :

- LCDC अभियान हेतु द्वितीय सदस्य मितानिन को 2.10 रुपए प्रति व्यक्ति स्क्रीनिंग एवं प्रथम सदस्य (RHO-M अथवा RHO-F अथवा मितानिन प्रशिक्षक अथवा CHO) को प्रतिदिन 50 रूपए का POL प्रतिदिन कुल कार्य दिवस अनुसार (अधिकतम 30 दिनों हेतु) राशि दिए जाने संबंधी सहमती दी गई|

Table: तुलनात्मक अनुमानित व्यय

| Amount in Rs Lakhs | | | |
|---|---|---|---|
| Activity | Budget proposed in PIP FY 2026-27 | Expected Expenditure as per GOI norms for 1st round in 26 districts (For given population) | Expected Expenditure as per State Plan norms for 1st round (For given population) |
| Incentive for survey members | 1305.42 | 504.00 | 504.00 |
| POL | 174.05 | 67.2 | 71.43 |
| Total | 1479.47 | 571.2 | 575.43 |

GOI Approved ROP for the FY 2026-27

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NDCP. 3 | National Leprosy Eradication Programme (NLEP) | 69 | Case Detection and Management | 1,623.44 | 1,623.44 | **Total amount of RS 1623.44 is approved as follows:**<br>1. Budget approved for Supportive drug, Reaction Management drugs ( Rs .11.64 lakhs)<br>2. Rs 2.46 lakhs approved for Lab reagent for SSS under diagnostics<br>3. Budget approved for 2 round LCDC Search team Members Incentive (Male/Female volunteer worker Incentives) in all districts (Rs 1305.42 lakhs)<br>4. Budget approved for Logistic, 'Training ,Workshop , Monitoring & Supervision for 2 round of LCDC ( Rs 271.99 lakhs) under OOCs<br>5. Budget approved for 2 rounds of LCDC related Printing of LCDC reporting and other survey formats and LCDC IEC( Rs 31.93 lakhs) under OOCs |





**प्रस्ताव : LCDC अभियान हेतु द्वितीय सदस्य मितानिन को 2.10 रुपए प्रति व्यक्ति स्क्रीनिंग एवं प्रथम सदस्य (RHO-M अथवा RHO-F अथवा मितानिन प्रशिक्षक अथवा CHO) को प्रतिदिन 50 रूपए का POL प्रतिदिन कुल कार्य दिवस अनुसार (अधिकतम 30 दिनों हेतु) राशि दिया जाना प्रस्तावित है |**

# राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक

## एजेन्डा क्र. SHS/EC/2026/16

**विषय–** **ROP 2026-27 में मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत नवीन गतिविधि के तहत जिलें स्तर पर 108 Birth Waiting Home की स्थापना किये जाने हेतु FMR Code 206.1.1 में स्वीकृत राशि 179.28 लाख को जिलों को आबंटित किये जाने बाबत्।**

ROP 2026-27 में मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत नवीन गतिविधि के तहत जिलें स्तर पर 108 Birth Waiting Home की स्थापना किये जाने हेतु FMR Code 206.1.1 में राशि 179.28 लाख रूपये स्वीकृत है। उक्त राशि वर्तमान मे SPMU में उपलब्ध है।

अवगत होना चाहेंगे कि Birth Waiting Home की स्थापना के संबंध में जिलों से प्राप्त संस्थावार सूची उपरांत SPMU में उपलब्ध उपरोक्त राशि 179.28 लाख रूपये जिलों को आबंटित किया जाना है।

अतः SPMU में उपलब्ध FMR Code 206.1.1 में स्वीकृत राशि 179.28 लाख रूपये जिलों को आबंटित कये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित है।

# राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक

## एजेन्डा क्र. SHS/EC/2026/17

**विषय –** **ROP 2026-27 में मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत FMR Code 201.2.4 में SBA (SN/ANM/LHV/CHO) प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत राशि रूपये 215.54 लाख को संबंधित जिले (जहॉ SBA प्रशिक्षण केन्द्र है) को आबंटित किये जाने के संबंध में।**

ROP 2026-27 में मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत FMR Code 201.2.4 में SN/ANM/LHV/CHO के SBA प्रशिक्षण हेतु राशि रूपये 215.54 लाख स्वीकृत है। उक्त राशि वर्तमान में SPMU में उपलब्ध है।

अवगत होना चाहेंगे कि राज्य में वर्तमान में 24 SBA Training Center है। उक्त SBA Training Center में SN/ANM/LHV/CHO को 21 दिन का SBA प्रशिक्षण कराये जाने हेतु SPMU में उपलब्ध राशि 215.54 लाख को संबंधित जिलों को आबंटित किया जाना है।

अतः FMR Code 201.2.4 में SN/ANM/LHV/CHO के SBA प्रशिक्षण हेतु SPMU में उपलब्ध राशि 215.54 लाख को संबंधित जिलों को आबंटित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित है।

# राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक

## एजेन्डा क्र. SHS/EC/2026/18

**विषय –** **ROP 2026-27 में मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत FMR 201.2.5 में LSAS, CEmONC (Life Saving Aneasthesia Skill, Comprehensive Emergecy Obstetric Care) के तहत गतिविधी (LSAS/CEmONC प्रशिक्षण व मेडिकल कॉलेज बस्तर में CEmONC Centre Establishment) हेतु स्वीकृत राशि रूपये 158.40 लाख संबंधित मेडिकल कॉलेज (रायपुर, सरगुजा एवं जगदलपुर) को आबंटित किये जाने के संबंध में।**

ROP 2026-27 में मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत FMR 201.2.5 में LSAS, CEmONC (Life Saving Aneasthesia Skill, Comprehensive Emergecy Obstetric Care) के तहत निम्नानुसार गतिविधी हेतु राशि रूपयें 158.40 लाख स्वीकृत है। जो वर्तमान में राज्य स्तर पर उपलब्ध है।

Activity 1a- Ongoing-.Rs. 67.20 lakh approved for Training of 12 LSAS @ 5.60 lakhs per participants (12* Rs. 5.60 lakh = Rs. 67.2 lakh

Activity 1b- New activity- Rs 12 lakh may approved for Set up amount for new training sites in medical colleges bastar district as per GoI guideline. Sttae has proposed Rs. 13.8 lakh. However, Rs 12 lakh approved as per GoI Norms.

Activity–2a- Ongoing-Rs. 67.20 lakh approved for Training of 12 CEmONC @ 5.60 lakhs per participants (12* Rs. 5.60 lakh = Rs. 67.2 lakh)

Activity 2b- New activity- Rs 12 lakh may approved for Set up amount for new training sites in medical colleges in medical colleges Bastar district as per GoI guideline. State has proposed Rs. 13.8 lakh. However, Rs 12 lakh approved as per GoI Norms.

**Total Cost= Rs. 67.20+ Rs 67.20+Rs 12+Rs 12 = Rs. 158.40 lakhs**

अतः वर्ष 2026–27 में उपरोक्त गतिविधी हेतु स्वीकृत राशि 158.40 लाख रूपये संबंधित मेडिकल कॉलेज (रायपुर, सरगुजा एवं जगदलपुर) को आबंटित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित है।

# राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक

## एजेन्डा क्र. SHS/EC/2026/19

**विषय –** **ROP 2026-27 में मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत FMR Code 4.1 में MH - JSSK – For Free Drugs and Consumables, के तहत स्वीकृत राशि 2270.00 लाख को जिलों को आबंटित किये जाने विषयक।**

मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत ROP 2026-27 में मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत FMR Code 4.1 में MH - For Free Drugs and Consumables, के तहत स्वीकृत राशि रूपये 2270.00 लाख स्वीकृत है। उक्त राशि वर्तमान में एजेंसी मद अंतर्गत DHS में उपलब्ध है।

अवगत होना चाहेंगे कि उक्त राशि को जिलों को आबंटित किया जाना है,

अतः एजेंसी मद अंतर्गत DHS में उपलब्ध उपरोक्त स्वीकृत राशि 2270.00 लाख रूपयें जिलों को आबंटित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित है।

# राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक

एजेन्डा क्र. SHS/EC/2026/20

विषय – **जिला अस्पताल जगदलपुर में पूर्व में आपूर्ति किए गए 01 नग DG Set (30 KVA) के लंबित भुगतान हेतु revalidation में स्वीकृत राशि ₹2,58,577/- का मातृत्व शाखा से शिशु स्वास्थ्य शाखा के RCH 3 S.No 24 के FBNC मद में बजट हस्तांतरण किए जाने बाबत।**

प्रस्ताव:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में SNCU के लिए 06 नग जनरेटर सेट का क्रय कर नवीन इंटरप्राइसेस द्वारा दिनांक 30.11.2013 को 06 जिलों के SNCU में सप्लाई किया गया था जिसमे से 05 नग DG set का पूर्ण भुगतान नवीन इंटरप्राइसेस को किया गया | जिला अस्पताल जगदलपुर में दिनांक 08.07.2014 को सप्लाई किये गए 01 नग DG set (30KVA) हेतु राशि रु 2,58,577 का भुगतान नवीन इंटरप्राइस को नही किया गया था जिसके भुगतान हेतु राशि रु 2,58,577 का प्रस्ताव revalidation प्रपत्र में संलग्न कर भारत सरकार को प्रेषित किया गया था जिसकी स्वीकृति NHM ROP वित्तीय वर्ष 2026-27 के annexure 7.7 (revalidation for previous year approvals) में मातृत्व शाखा के (HDU/ICU -Maternal) मद में प्राप्त है | जिसका हस्तांतरण शिशु स्वास्थ्य शाखा के RCH 3 S.No 24 में हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित है |

**निर्णय:-** **जिला अस्पताल जगदलपुर में दिनांक** 08.07.2014 **को सप्लाई किये गए** 01 **नग** DG set (30KVA) **हेतु राशि रु** 2,58,577 **का भुगतान नवीन इंटरप्राइस किये जाने हेतु** NHM ROP **वित्तीय वर्ष** 2026-27 **में** revalidation **हेतु स्वीकृत बजट राशि रु** 2.59 **लाख** NHM ROP **वित्तीय वर्ष** 2026-27 **के** annexure 7.7 (revalidation for previous year approvals) **में मातृत्व शाखा के (**HDU/ICU -Maternal) **मद में आबंटित है | जिसका हस्तांतरण शिशु स्वास्थ्य शाखा के** RCH 3 S.No 24 **मद में किया जावे |**